

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: एम0ई0-3/2023/1711

लखनऊ: दिनांक 05, अगस्त 2023

**नीट यू0जी0 2023 के माध्यम से सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने के शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना**

सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा अपनी वेबसाईट पर स्वयं को अल्पसंख्यक संस्था (बुद्धिस्ट) मानते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से कालेज द्वारा अपने स्तर से शुल्क निर्धारित करते हुए निम्नानुसार शुल्क लिए जाने की सूचना प्रदर्शित की गयी है-

A	General Students	
(i)	Tuition Fee	Rs. 16,00,000/- Per year
(ii)	Security	Rs. 4,00,000/- (Refundable)
(iii)	Misc. Charges	Rs. 1,25,000/- Per year

2- उक्त के अतिरिक्त सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/1413 दिनांक 01 जुलाई 2023 (संलग्नक-1) एवं प्राचार्य एवं डीन, सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र संख्या-एम.एम.सी./जी/एम-60/3849 दिनांक 04.7.2023 (संलग्नक-2) की प्रति भी प्रदर्शित की गयी है।

प्राचार्य एवं डीन, सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.7.2023 के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/1566 दिनांक 19 जुलाई 2023 (संलग्नक-3) द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यक्रम की समस्त सीटों को ओपेन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

3- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1281/71-4-2018-एन/98टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई 2018 द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है तथा तददिनांक तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है (संलग्नक-4)।

4- शासनादेश संख्या-1/120293/2021 दिनांक 08.12.2021 (संलग्नक-5) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रु0 11,85,133/- शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है।

5- शासनादेश संख्या-1/360946/2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 (संलग्नक-6) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) एवं परास्नातक (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु यथावत लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

6- सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा अपनी वेबसाईट पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने का दुष्प्रचार करते हुए भ्रामक सूचना प्रदर्शित की गयी है।

7- उल्लेखनीय है कि यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की प्रथम चक की काउंसिलिंग में सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की समस्त 200 सीटों पर आवंटन ओपेन श्रेणी में ही किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को तददिनांक तक राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान न किये जाने के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाना अनुमन्य होगा।



कृते महानिदेशक।

संख्या: एम0ई0-3/2023/

तददिनांक/

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-चार
  2. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
  3. जिलाधिकारी, मेरठ।
  4. प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (प्रवेश प्रक्रिया नीट यू0जी0 2023), मेडिकल कालेज, मेरठ।
  5. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।
  6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
  7. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

  
कृते महानिदेशक।

संलग्नक - (1)

ई-गेल/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबंधक,  
निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेंटल कालेज,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या:एमई-3/2023/1A13

लखनऊदिनांक: 01 जुलाई, 2023

विषय:-नीट यू0जी0-2023-24 के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नीट यू0जी0-2023-24 की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 के अन्तर्गत आपके मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी संकलित सीटों की तालिका आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आपके मेडिकल/डेंटल कालेज के कालम में दर्शायी गयी सीटों का मिलान/पुष्टि करने का कष्ट करें। पुष्टि करने के उपरान्त अपने कालेज के कालम पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाते हुए इस कार्यालय की ई-मेल आई0डी0-dgmsec3@gmail.com पर दो कार्य दिवसों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि तालिका में दर्शायी गयी सीटों में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुये अभिलेखीय साक्ष्य सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सीटों के सत्यापन की सूचना/सहमति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना को सही मानते हुये काउंसिलिंग सम्पन्न की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)

प्रशासकीय परामर्शी।  
कृते महानिदेशक

**UP NEET UG 2023 (MBBS) - PRIVATE MEDICAL COLLEGES - Seat**

S.No.	Institute	Seats
1	Career Institute of Medical Sciences, Lucknow (MINORITY)	75
2	Era's Lucknow Medical College, Lucknow (MINORITY)	75
3	Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Centre, Moradabad(MINORITY)	75
4	F.H. Medical College, Agra (MINORITY)	75
5	Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow (MINORITY)	75
6	Subharti Medical College, Meerut (MINORITY)	100
7	Career Institute of Medical Sciences, Lucknow	75
8	Era's Lucknow Medical College, Lucknow	75
9	Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Centre, Moradabad	75
10	F.H. Medical College, Agra	75
11	Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow	75
12	Subharti Medical College, Meerut	100
13	Sri Rammurti Smarak Institute of Medical Sciences, Bareilly	150
14	Muzaffarnagar Medical College, Muzaffarnagar	200
15	Rohilkhand Medical College & Hospital, Bareilly	250
16	Rama Medical College Hospital, & Research Centre, Kanpur	150
17	Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur	150
18	Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki	100
19	School of Medical Sciences, (Sharda University), Greater Noida	250
20	Rama Medical College Hospital, & Research Centre, Hapur	250
21	Rajshree Medical Research Institute, Bareilly	250
22	Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi	200
23	Hind Institute of Medical Sciences, Sitapur	150
24	T.S.Mishra Medical College & Hospital, Lucknow	150
25	Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow	150
26	Mayo Institute of Medical Sciences, Barabanki	250
27	Krishan Mohan Medical College & Hospital, Mathura	150
28	Saraswati Medical College Unnao	150
29	K.D. Medical College Hospital & Research Centre, Mathura	150
30	G S Medical College, Hapur	150
31	Shri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Gajraula, Amroha	150
32	Varunarjun Medical College & Rohilkhand Hospital, Sahjahanpur	150
33	National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut(Previous known as MSY)	150
34	Noida International Institute of Medical Sciences, Gautam Budh Nagar (New )	150
35	United Institute of Medical Sciences, Prayagraj	150
36	Naraina Medical College, Kanpur	150
37	SKS Medical College, Mathura (New College)	150
	<b>TOTAL</b>	<b>5250</b>

NOTE : SEAT MAY BE INCREASE OR DECREASE



# Subharti Medical College

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. U 12012/69/96-ME(P)  
Website: medical.subharti.org, e-mail: medical@subharti.org, Ph. 0121-3055000 (Extn. 2118), Telefax: 0121-2439127, 2439067  
A constituent college of  
**SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY**  
(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)



संलग्नक-2

पत्रांक:-एस.एम.सी / जी / एस-60 / 3849

दिनांक:-04-07-2023

सेवा में,

Annexure No. 2

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: नीट यूंजी० 2023-24 के अन्तर्गत की एमबीबीएस०/बीडीएस० पाठ्यक्रम की सीटों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं० एमई-3/2023 / 1413 दिनांक 1 जुलाई 2023, के

सन्दर्भ में आवश्यक सूचना आपके भेजे गए प्रारूप पर (✓) लगा कर सत्यापित कर भेजी जा रही है।

उक्त पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय में वाद योजित है।

धन्यवाद।

2023

भवदीय

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(डॉ० प्रदीप भारती गुप्ता)

प्राचार्य एवं डीन

Principal/Dean College of Medical Sciences, Subharti

Subharti Medical College

Chhatrapati Maharaj Subharti Hospital

MERUT

UP NEET UG 2023 (MBBS) - PRIVATE MEDICAL COLLEGES - Seat

S. No.	Institute	Seats
1	Career Institute of Medical Sciences, Lucknow (MINORITY)	75
2	Era's Lucknow Medical College, Lucknow (MINORITY)	75
3	Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Centre, Moradabad (MINORITY)	75
4	F.H. Medical College, Agra (MINORITY)	75
5	Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow (MINORITY)	75
6	Subharti Medical College, Meerut (MINORITY)	100
7	Career Institute of Medical Sciences, Lucknow	75
8	Era's Lucknow Medical College, Lucknow	75
9	Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Centre, Moradabad	75
10	F.H. Medical College, Agra	75
11	Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow	75
12	Subharti Medical College, Meerut	100
13	Sri Rammurti Sinarak Institute of Medical Sciences, Bareilly	150
14	Muzaffarnagar Medical College, Muzaffarnagar	200
15	Rohilkhand Medical College & Hospital, Bareilly	250
16	Rama Medical College Hospital, & Research Centre, Kanpur	150
17	Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur	150
18	Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki	100
19	School of Medical Sciences, (Sharda University), Greater Noida	250
20	Rama Medical College Hospital, & Research Centre, Hapur	250
21	Rajshree Medical Research Institute, Bareilly	250
22	Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi	200
23	Hind Institute of Medical Sciences, Sitapur	150
24	I.S. Mishra Medical College & Hospital, Lucknow	150
25	Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow	150
26	Mayo Institute of Medical Sciences, Barabanki	250
27	Krishan Mohan Medical College & Hospital, Mathura	150
28	Saraswati Medical College Unnao	150
29	K.D. Medical College Hospital & Research Centre, Mathura	150
30	G.S. Medical College, Hapur	150
31	Shri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Gajraula, Amroha	150
32	Varunraj Medical College & Rohilkhand Hospital, Sahjahanpur	150
33	National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut (Previous known as MSY)	150
34	Noida International Institute of Medical Sciences, Gautam Budh Nagar (New)	150
35	United Institute of Medical Sciences, Prayagraj	150
36	Naraina Medical College, Kanpur	150
37	SKS Medical College, Mathura (New College)	150
	<b>TOTAL</b>	<b>5250</b>

NOTE: SEAT MAY BE INCREASE OR DECREASE

Be...

Be...

Principal/Dean/Ch...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

Subharti Hospita...

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
सुभारती मेडिकल कालेज,  
मेरठ।

संख्या: एम0ई0-3/2023/1566

लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई 2023

विषय: नीट यू0जी0/पी0जी 2023 के अन्तर्गत सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की सीटों को अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एम0सी0/जी/एम-60/3848 दिनांक 04.7.2023 तथा पत्र संख्या-एस0एम0सी0/जी/एम-60/3940 दिनांक 17.7.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में कहना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/1413 दिनांक 01 जुलाई के साथ संलग्न तालिका का आशय मात्र मेडिकल कालेज की सीटों की संख्या को सत्यापित कराया जाना था, इससे यह कदापि स्थापित नहीं होता है कि इस कार्यालय द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान मान लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1281/71-4-2018-एन/98टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई 2018 द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है तथा तददिनांक तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ में यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यक्रम की समस्त सीटों को ओपेन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार अवगत होना चाहें।

भवदीय,



(किंजल सिंह)

महानिदेशक।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4  
संख्या- 12 01 / 71-4-2018-एन-24 / 98टी0सी0  
लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

नेशनल कमीशन फार माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2004 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को केस संख्या-1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ, उ0प्र0 बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने का प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 को निर्गत किया गया है।

2- एम0टी0वी0 बुद्धिष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, मेरठ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली से निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 की प्रति सहित सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की कार्यवाही शासन स्तर से किए जाने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 22.05.2018 एवं 12.06.2018 से किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र दिनांक 12.06.2018 में निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित किये गये हैं:-

शासनादेश दिनांक 28.08.1999 किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज को पहले ही अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा चुका है अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 28.08.1999 के अन्तर्गत पुनः अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्ष 2004 में भारत सरकार के द्वारा मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन किया जा चुका है तथा किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने या न देने का सम्पूर्ण अधिकार आयोग के पास निहित है। यहां तक की राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिए गए संस्थानों को दर्जा देने व निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 मई 2016 को शासनादेश संख्या-1552/52-3-2016-रिट(30)/14 जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि "अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने के उपरान्त शासन के संबंधित विभाग द्वारा उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिया जाना है।"

शासनादेश दिनांक 18 मई 2016 स्वतः इस बात को स्पष्ट करता है कि शासनादेश संख्या-जी0आई0-72/इकहत्तर-3-99-एम-24/98 दिनांक 28.08.1999 निरस्त किया जा चुका है अथवा वर्तमान में अस्तित्व विहीन है।

शासनादेश दिनांक 18 मई 2016 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-3/2017/597/सत्तर-6-2017-22/22/2017 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया था। इस शासनादेश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किए जाने की कार्यवाही वर्णित है।

सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-2/980/2018 एम0टी0वी0 बुद्धिष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 गवट व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को निम्न निर्णय पारित किया गया है:-

"In view of the above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case, on consent, the writ petition is disposed of finally with a direction to the Principal Secretary, Medical Education & Training, Government of U.P., Lucknow to look into the grievance of the petitioners and

Handwritten notes and stamps on the left margin, including a circular stamp with the number 2957 and several lines of text and dates.



pass appropriate order on the representation dated 12.6.2018 Annexure-16 to the writ petition expeditiously, preferably within a period of four weeks from the date of production of a certified copy of this order before him."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय संस्था के प्राचार्य के पत्र दिनांक 28.06.2018 के माध्यम से शासन को दिनांक 28.06.2018 को उपलब्ध कराया गया है।

4- प्रश्नगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या-1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० की ओर से शासन का पक्ष रखा गया अथवा नहीं तथा क्या आयोग द्वारा सरकार का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया गया है कि स्थिति ज्ञात कर अवगत कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 21.06.2018 से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ का निर्देशित किया गया। महानिदेशक द्वारा पत्र दिनांक 11.07.2018 से अवगत कराया गया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० ने अपने पत्र दिनांक 11.07.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है कि शासनादेश दिनांक 18.05.2016 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम-2004 की धारा-10 के अन्तर्गत संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह सूचित किया है कि उनके पत्र दिनांक 08.06.2018 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली को यह भी अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने उक्त निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, उ०प्र० के पद पर कोई अधिकारी नियुक्त/कार्यरत नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने संबंधी प्रकरण में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दूसरे विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आयोग के समक्ष शासन का पक्ष नहीं रखा जा सका है।

5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 20.07.2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रकरण में मा० आयोग के अनु सचिव द्वारा मेडिकल रूप से सूचित किया गया है कि प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था, किन्तु उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई की तिथियों में उपस्थित न होने के कारण उक्त प्रमाण पत्र एकतरफा प्रस्तुत करते हुए निर्गत किया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के संबंध में वाद संख्या-1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016, दिनांक 27.10.2016 एवं दिनांक 20.03.2017 उपलब्ध करायी गयी है। मा० आयोग द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 20.03.2017 में निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित है -

"None for the respondent Despite service of notice, there is no appearance on behalf of the respondent. Hence, the case is proceeded ex-parte."

6- उक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि वाद संख्या-1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार उक्त मेडिकल कालेज का वाद दायरा त्रुटिपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० के विभागाध्यक्ष निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन उक्त संस्था सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ आती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत उक्त संस्था नहीं है। चूंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसी स्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग को उक्त वाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार न तो अल्पसंख्यक

कल्याण विभाग द्वारा और न ही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार का पक्ष मा० आयोग के समक्ष रखा जा सका। इससे स्पष्ट है कि मा० आयोग के समक्ष योजित केस संख्या-1222/2015 में चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष नहीं सुना गया और मा० आयोग द्वारा Respondents को सुने बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 20.03.2017 पारित किया गया है। तदोपरान्त सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 को निर्गत किया गया।

7- उक्त के कम में यह भी उल्लेख करना है कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा प्रतिवादी के रूप में उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को पक्षकार बनाया गया, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी पक्षकार चिकित्सा शिक्षा विभाग ही है। इस प्रकार संस्था द्वारा मुख्य प्रतिवादी को छिपाकर उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को पक्षकार बनाकर मा० आयोग को गुमराह करके आदेश प्राप्त किया गया। इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि The National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 की धारा-12(3) में आयोग की प्रत्येक Proceeding को Judicial Proceeding मानते हुए आयोग में सिविल कोर्ट की शक्तियां निहित हैं, जिसके फलस्वरूप नैसर्गिक न्याय एवं सिद्धांत के दृष्टिगत मा० आयोग के समक्ष केस में संबंधित विपक्षी अर्थात् चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, किन्तु जैसा कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा विपक्षी के रूप में उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को पक्षकार बनाकर आदेश प्राप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप मा० आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष प्राप्त किये बिना आदेश पारित कर दिया गया। उक्त तथ्यों के आलोक में चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष सुनने के पश्चात् ही प्रकरण में संस्था का निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 के विरुद्ध राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली में पुनर्विचार प्रार्थनापत्र दाखिल करने का निर्णय लेते हुए शासन के पत्र संख्या-1237/71-4-2018-एन-24/98 टी०सी०, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा उप निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को निर्देशित कर दिया गया है।

8- उक्त तथ्यों के आलोक में सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नवत है:-

1- संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या-1 व 2 पर किये गये अनुरोध के कम में स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1552/52-3-2016-रिट(30)/2014, दिनांक 18.05.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के उपरान्त शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिया जाना है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा संस्था को निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के पश्चात् अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था है। चूंकि जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में उल्लेख किया जा चुका है कि प्रश्नगत मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के समक्ष संस्था द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासन का पक्ष नहीं रखा जा सका।

2- संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या-3 व 4 पर किये गये अनुरोध के कम में स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का शासनादेश दिनांक 18.05.2016, जिसके द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा संस्थाओं को निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने की कार्यवाही के निर्देश हैं, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग को सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन 2004 में होने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट होने का शासनादेश दिनांक 18.05.2016 में चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।


- 3 संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या-5 पर किये गये अनुरोध के क्रम में स्थिति यह है कि उक्त शासनादेश उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाओं पर ही लागू है, जबकि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आता है। अतः ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर इस संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने का अवसर नहीं है।
- 2- अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रिट याचिका सं0-21980/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 के अनुपालन में संस्था के प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 में वर्णित तथ्यों के अनुसार संस्था को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही किये जाने की स्थिति नहीं बनती है और संस्था के उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 को एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

डा० रजनीश दुबे  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1281(1)/71-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, एम०टी०वी० बुद्धिष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, मेरठ/प्रधानाचार्य सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
( कुलदीप कुमार रस्तोगी )  
अनु सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ० प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4  
2021

लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर,

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम० बी० बी० एस०) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र एम० ई० 0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम० बी० बी० एस०) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी० सी० दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी, परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ 0 प्र 0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

- i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
- ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वार्षिक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तदनुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
- iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
- iv. जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
- v. समिति ने मा 0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना

औचित्यपूर्ण पाया गया।

- vi. नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर में प्रथम बार एम 0 बी0 बी0 एस 0 में प्रवेश लिये जाने के कारण प्रथम बार शुल्क का निर्धारण किया जाना है। चूंकि इस कालेज में वर्ष-2019-2020 की बैलेंस सीट उपलब्ध नहीं हो सकती अतः इस कालेज का शुल्क औसत के आधार पर निर्धारित किये जाने का विनिश्चय किया गया।
- vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंकों का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को **Standardise** किया गया है।
- viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुगन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को **disallow** करते हुए बैलेंस सीट को बेटेज प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0, दिनांक 06.11.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चों को **disallow** करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी **Standardise** किया गया है। कालेजवार **Standardise** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित **Standardise** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट **Standardise** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट **Standardise** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।
- ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से **Quality Council Of India** द्वारा प्रदान किये जाने वाले **NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।
- x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेंस शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों

द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एम 0 बी0 बी0 एस 0 हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क धनराशि रूपए) (में)
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	13,73,760
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, रोटर नोएडा।	12,69,319
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	11,85,133
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	11,70,612
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	12,80,037
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड।	11,81,671
7	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	13,00,251
8	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	13,21,492
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	12,66,579
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सीतापुर।	10,77,229
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	11,21,162
12	के 0 डी 0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	12,28,240
13	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	12,28,406
14	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड	13,09,968
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	11,03,932
16	टी 0 एस 0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	12,99,199
17	नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्धनगर।	11,92,211
18	जी 0 एस 0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड।	11,78,892
19	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	11,59,610
20	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	11,90,401
21	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ। (एम 0 एस 0 वाई 0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	12,19,917
22	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	11,73,856
23	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रुहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	12,10,000
24	श्री वैकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गजराँवा, अमरोहा।	11,10,508
25	नारायणा मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	12,14,683

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क के अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. छात्रावास शुल्क-

(ए) नॉन ए० सी०	-	रु० 1,50,000 प्रतिवर्ष।
(बी) ए० सी०	-	रु० 1,75,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा बेरायटी का होगा।

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रु० 3,00,000 (एक बार)।

3. विविध शुल्क- रु० 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेंज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



Signed by आलोक कुमार

Date: 07-12-2021 11:11:33

Reason: Approved  
(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्विनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा 0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ 0 प्र 0 शासन।
4. निजी सचिव, मा 0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉरागण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

हिलानक-6

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-1/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-1/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-1/120294/2021/71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-1/109712/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम०डी०एस० पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) एवं परास्नातक स्तरीय (एम०डी०/एम०एस०/एम०डी०एस०) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस०के०एस० मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार

Date: 02-08-2023 16:22:11

Reason (आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)  
उप सचिव।